

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2015 (फाल्गुन 9, 1936)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2015 (PHALGUNA 9, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

नई दिल्ली—110025, दिनांक 12 मई 2014

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल एंड ऑर्ड./2014—सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से मानविकी एवं भाषा संकाय के अंतर्गत “पर्यटन, होटल, आतिथ्य एवं विरासत अध्ययन विभाग” की स्थापना हेतु मौजूदा परिनियम 20 की धारा (3) में संशोधन/परिवर्धन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ. 6-16/2009-डेस्क-यू, दिनांक 27 मार्च, 2012 द्वारा सूचित किया है।

यथाअनुमोदित परिनियम 20 का संशोधित खंड (3) अनुलग्नक के अनुसार मान्य होगा।

प्रो० शाहिद अशरफ
कुलसचिव

अनुलग्नक

मा.सं.वि.मं. सं. एफ.6-16/2009-डेस्क-यू दिनांक 27 मार्च, 2012 द्वारा
यथाअनुमोदित परिनियम 20 का खंड (3)

बशर्ते निम्नलिखित को भी अध्ययन विभाग माना जाएगा :-

- (i) पौढ़, सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग;
- (ii) अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग;
- (iii) इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन विभाग ;
- (iv) कम्प्यूटर साइंस विभाग;
- (v) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग ;
- (vi) आर्किटेक्चर विभाग;
- (vii) चित्रकला विभाग;
- (viii) मूर्तिकला विभाग ;
- (ix) अनुप्रयुक्त कला विभाग ;
- (x) कला शिक्षा विभाग ;
- (xi) ग्राफिक्स कला विभाग ;
- (xii) कला इतिहास एवं कला प्रशंसा विभाग ;
- (xiii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग;
- (xiv) पर्यटन, होटल, आतिथ्य एवं विरासत अध्ययन विभाग ;
- (xv) ऐसे अन्य विभाग जो समय-समय पर बनाए जाएंगे ।

JAMIA MILLIA ISLAMIA UNIVERSITY

New Delhi-110025, the 12th May 2014

No. JMI/R.O./L&Ord./2014—This is to notify for the information of all the concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for amendment/addition to the existing Clause (3) of the Statute-20 for the creation of a new Department, namely, “Department of Tourism, Hotel, Hospitality and Heritage Studies” under the Faculty of Humanities & Languages, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-16/2009-Desk-U dated March 27, 2012.

The amended Clause (3) of Statute-20 as approved would be read as shown in the Annexure.

Prof. SHAHID ASHRAF

Registrar

ANNEXURE

Annexure to Clause (3) of Statute-20
as amended vide MHRD No.F.6-16/2009-Desk-U

The 27th March 2012

Provided that the following shall also be the Departments of Studies:—

- (i) Department of Adult & Continuing Education & Extension
- (ii) Department of Applied Sciences & Humanities
- (iii) Department of Electronics & Communications
- (iv) Department of Computer Science
- (v) Department of Computer Engineering;
- (vi) Department of Architecture;
- (vii) Department of Painting;
- (viii) Department of Sculpture;
- (ix) Department of Applied Art;
- (x) Department of Art Education;
- (xi) Department of Graphic Art;
- (xii) Department of Art History and Art Appreciation;
- (xiii) Department of Biotechnology;
- (xiv) Department of Tourism, Hotel, Hospitality and Heritage Studies;
- (xv) Such other Departments as may be created and assigned from time to time.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in